कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री रूपसिंह — **विपक्षी** श्रीमती कुरी बाई व अन्य

कस्म मुकदमा धारा–111, 128 भू–राजस्व अधिनियम — **प्रकरण संख्या** 44/2023

	कार्यवाही विवरण
19–06–2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षी सं. 3, 8 उपस्थित। विपक्षी सं. 1, 2, 4, 5, 6, 9 आज दिनांक को बावजुद सुचना के अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व एवं कब्जे की आराजीयात मौजा राणावतों का वाडा पटवार हल्का बामनिया मे स्थित है जिसके आराजी नं. 413, 416, 421, 441, 454, 66, 685 कुल किता 8 रकबा 1.00 हैक्टयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजी नम्बर 453, 454 किता 2 रकबा 0.14 हैक्टेयर के पास ही लगकर विपक्षीगण के आराजीयात की भूमि स्थित है। पूर्व मे प्रार्थी द्वारा अपने आराजीयात की भूमि की सीमाज्ञान कराई उसके बावजूद भी विपक्षीगण उक्त सीमा जानकारी स्वीकार करने को तैयार नहीं है तथा सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 3 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश पुरी ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी के आराजीयात की भूमि की पत्थगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। शेष विपक्षीगण बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र मे वर्णित मौजा राणावतोकावाडा पटवार हल्का बामनिया तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता सं. 113 कुल किता 8 रकबा 1.00 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थी संयुक्त खातेदार होकर नाम दर्ज अंकित है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। **–:आदेश:–** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा राणावतोकावाडा पटवार हल्का बामनिया तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 आराजी नम्बर 453, 454 किता 2 रकबा 0.14 हैक्टेयर प्रार्थी की आराजीयात की भूमि मे राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु लगभग ढाई फिट के कुल 10 पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलुम्बर के नाम जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे। निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया। (पर्वत सिंह चूण्डावत RAS) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर सलूम्बर, जिला सलूम्बर